कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 03.07.2026

घटना का संक्षिप्त विवरण— दिनांक 12.06.2026 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम चौकीदार स्पूरी, थाना खागा, जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम स्पूरी के समीप हाईवे की सर्विस लेन पर एक अज्ञात महिला का शव पीली प्लास्टिक की बोरी में मिला है। सूचना के आधार पर थाना खागा पर मु0अ0सं0 197/26 धारा 103(1)/238(बी) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान प्राप्त अज्ञात महिला के शव का हुलिया प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के थाना बारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2026 से संबंधित पाया गया। थाना बारा पुलिस द्वारा मृतका के परिजनों को शव की फोटो, वस्त्र एवं बरामद आभूषण दिखाए जाने पर शव की पहचान रंजना (उम्र लगभग 22 वर्ष) पुत्री शिव शंकर पांडेय निवासी ग्राम उभारी घूरपुर यमुनानगर थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज के रूप में हुई।

मृतका के परिजनों द्वारा बताया गया कि रंजना का विवाह दिनांक 20.02.2025 को सुरेन्द्र तिवारी निवासी ग्राम कोटवारन का पुरा पाण्डर थाना बारा जनपद प्रयागराज के पुत्र के साथ हुआ था। दिनांक 11.06.2026 से संपर्क न होने पर संदेह के आधार पर थाना बारा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पति, सास, ससुर, देवर द्वारा रंजना तिवारी की हत्या कर शव को जनपद फतेहपुर के थाना खागा क्षेत्रांर्गत हाईवे किनारे फेंका गया।

थाना बारा में पंजीकृत मुकदमे में धारा 80(2), 61(2), 238(बी) बीएनएस तथा 3/4 डीपी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। जांच एवं दबिश के दौरान दिनांक 02.07.2026 को मृतका के पति बाल अपचारी को हिरासत में लेकर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

नोट— थाना खागा में पंजीकृत मु0अ0सं0 197/26 की अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बारा कमिश्नरेट प्रयागराज से की जाएगी।